

| |
|--|
| प्रपत्र-8 |
| नियम 10 का उपनियम (2) तथा नियम 11 के उपनियम(1) का खंड(i)देखें |
| (अभिलेखों के अध्ययन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र) |
| सेवा में, अभिलेख महानिदेशक भारत सरकार नई दिल्ली-110001 |
| महोदय, <p>मैं एतद्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसंधान कक्ष में अभिलेखों के अध्ययन हेतु शोधार्थी के रूप में सदस्य बनने हेतु आवेदन कर रहा हूँ/रही हूँ। मैं प्रवृत्त नियमावली और शर्तों का पालन करूंगा/करुंगी और वचन देता/देती हूँ कि मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार में अध्ययन की गई सामग्री के आधार पर मेरे द्वारा किए गए कार्य की एक प्रति इसके प्रकाशित होते ही राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रस्तुत करूंगा/करुंगी।</p> |
| 1. नाम और कुलनाम:श्री/श्रीमती/कु.डॉ. |
| 2. पिता/पति का नाम: |
| 3. जन्मतिथि: |
| 4. योग्यता: |
| 5. नागरिकता: |
| 6. व्यवसाय: |
| 7. शोध का विषय: |
| 8. जिसके साथ पंजीकृत है उस विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम: |
| 9. प्रवेश की अवधि: |
| 10. हस्ताक्षर और तिथि: |
| 11.पता (i)स्थानीय: |

(ii)स्थायी

| | विभाग | अवधि | अभ्युक्तियां |
|----|-------|------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

*शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालय/संस्थान/विभाग से सिफारिश पत्र संलग्न करने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, विदेशी शोधकर्ताओं को भारत में उनके देश के राजनयिक प्रतिनिधियों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।